कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद

आदेश सं0 / निजी बी.टी.सी. / 10 / 2009–10 दिनांक : 17-3-2010

सम्बद्धता आदेश

शासनादेश सं0 2115–15–11–09–1499(184) / 2002 दिनांक 25.11.2009 एवं **शासनादेश सं0 85–15–11–2010 दिनांक 18.01.2010** के परिप्रेक्ष्य में निजी शिक्षण संस्थाओं को बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में आपके आवेदन पत्र दिनांक 22.01.2010 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जो आपके संस्थान को शैक्षिक सत्र 2010–11 से सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में है।

तद्नुसार निरीक्षण पैनल की आख्या के आधार पर शासनादेश संख्या 7800(वीएस) / प्रा.बी.टी.सी.–11 / 2010 दिनांक 17–03–2010 के क्रम में **खण्डेलवाल कालेज आफ मैनेजमेंट सांइस एण्ड टेक्नालाजी, कलापुर, पीलीभीत रोड, बरेली** को शैक्षिक सत्र 2010–11 से 50 सीटों के लिये सशर्त सम्बद्धीकरण निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किया जाता है : –

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संयुक्त परिचालन में रखना होगा।
2. भूमि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 की संगत नियमावली के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
3. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षणार्थियों हेतु निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
4. एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो व्यवस्था, मानक बनाये जाते हैं अथवा वर्तमान व्यवस्था एवं मानकों में जो परिवर्तन किये जाते हैं, वह संस्थानों पर बाध्यकारी होंगे।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी मान्यता आदेश के पैरा 3 में निहित प्राविधान के अनुरूप संस्थान द्वारा निम्नलिखित अवशेष कार्यवाही सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय–
   - आवेदित पाठ्यक्रम संचालन हेतु भवन का सीमांकन करा लिया जाए।
   - नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
   - अग्निशमन के उपायों से सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त का निराकरण कर एन0सी0टी0ई0,नई दिल्ली, एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ तथा सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, इलाहाबाद को अधिकतम तीन माह की अवधि में अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

7. उपरोक्त सम्बद्धता राज्य सरकार द्वारा बिन्दु 6 पर एन0सी0टी0ई0 के स्थिति स्पष्ट किये जाने विषयक सन्दर्भ के अधीन होगी।

कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें तथा सम्बद्धीकरण शर्तो के सम्बन्ध में लिखित सहमति प्रस्तुत करें।

B. Shiksharthi
17.3.10
(भावना शिक्षार्थी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0 इलाहाबाद।
17/3/10

पृ0सं0 / निबी.टी.सी. / 109-120 / 2009–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4– शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक), उ0प्र0 लखनऊ।
5– शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7– अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
8– क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई, जयपुर।
9– प्रबन्धक / सचिव, खण्डेलवाल कालेज आफ मैनेजमेंट सांइस एण्ड टेक्नालाजी, कलापुर, पीलीभीत रोड, बरेली
10– संयुक्त शिक्षा निदेशक, सम्बन्धित मण्डल।
11– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपद।
12– गार्ड फाइल।

B. Shiksharthi
17.3.10
(भावना शिक्षार्थी)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0 इलाहाबाद।
17/3/10

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/शि0स0/सम्बद्धता/ 21 /2013–14 दिनांक 11.04.13

शुद्धि पत्र/कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप सं0 शि0स0/सम्बद्धता/104/2012–13 दिनांक 11.03.2013 द्वारा **खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली** को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्राइवेट बी0टी0सी0 के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिये सम्बद्धता प्रदान की गयी थी।

उक्त् आदेश की पांचवी पक्ति में उल्लिखित **"शैक्षिक सत्र 2012–13 के लिये"** के स्थान पर **"शैक्षिक सत्र 2012–13 से"** पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

पृ0सं0 /शि0स0/सम्बद्धता / 610–18 /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल बरेली।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, फरीदपुर, बरेली।
8. सचिव/प्रबन्धक खण्डेलवाल कालेज ऑफ मैनेजमेंट साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, बरेली।
9. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।